न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा स्थान गुलेरिया

राजस्व वाद संख्या : 95/2025
निर्णय दिनांक : 27.06.2025
दायर दिनांक – 19.06.2025

1. महेन्द्र पारीक पुत्र हुलासचन्द पारीक जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

...............प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री तोलाराम गोदारा एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 564 तादादी 1.2392 हैक्टेयर व खसरा संख्या 572 तादादी 3.0348 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 4.2740 है0 वाके रोही भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादगत खेतों की संयुक्त खातेदारी में वादी का नाम मदनलाल पुत्र हुलासमल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0) दर्ज है, जो गलत है, जबकि वादी का सही नाम महेन्द्र पारीक पुत्र हुलासचन्द जाति ब्राह्मण पारीक है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मदनलाल पुत्र हुलासमल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0) दर्ज. खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

में नाम महेन्द्र पारीक पुत्र हुलासचन्द जाति ब्राह्मण है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मदनलाल पुत्र हुलासमल के स्थान पर महेन्द्र पारीक पुत्र हुलासचन्द किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग के पैनकार्ड की फोटोप्रति, आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम महेन्द्र पारीक पुत्र हुलास चन्द पारीक अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

दावा वादी पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान गुलेरिया में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 564 तादादी 1.2392 हैक्टेयर व खसरा संख्या 572 तादादी 3.0348 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 4.2740 है0 रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम मदनलाल पुत्र हुलासमल के स्थान पर महेन्द्र पारीक पुत्र हुलासचन्द पारीक निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान गुलेरिया टंकित करवाया जाकर में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा स्थान गुलेरिया

महेन्द्र पारीक बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा न0 95 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु हाजरी श्री तोलाराम गोदारा एड. मिनजानिब मुदई . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 564 तादादी 1.2392 हैक्टेयर व खसरा संख्या 572 तादादी 3.0348 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 4.2740 है0 रोही ग्राम भोजलाइ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम मदनलाल पुत्र डुलाराम के स्थान पर महेन्द्र पारीक पुत्र डुलाराचन्द पारीक निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे।

चीज .... मुबलिग ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... बाबत ....

आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... फीसदी सालाना

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 27 माह 06 वर्ष 2025**

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुदई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक		
मीजान		

मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बाबत		
इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक		
मीजान		

नोट : खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू